

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख नं० 23 / 8070-21

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्त
--------	----------	----------

12/11/19

झारखंड सरकार के ज्ञापक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016

सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० ग० निती-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-

मौजा-~~कोखी कुंजी~~ मौजा नं०-12 खाता नं० 1A2  
 प्लॉट नं० 1303 रकबा 3.80 बी. भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पत्नी-11 के जिल्द संख्या 20 के पृष्ठ संख्या 3741 पर जमाबंदी रैयत S.M.T कुंजी सिंह के नाम से कायम है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाबोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सलम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राजा को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।


अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक को मंतव्य प्राप्त करे।  
 अभिलेख दिनांक 9/11/19 को रखे।

  
 अंचल-निरीक्षक,  
 धनबाद।

9/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मातव्य / प्रतिवेदन अग्रस्त है।


अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।

23/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मातव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15/6/20 को रखे।


  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मीजा के.एन.कुसुमी मीजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट नं० 1303 रकवा 3.80 भूमि से संबंधित है। आभेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आभेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं० \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) के अनुसार कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

बाद अनिलेख संख्या- /2018 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्रीमती कुंजनी सिंह  
पति- शक्तिकांत सिंह  
सा. एडसिंह कोलोनी धनबाद

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा कोलाकुसमा धाना नं०- 12  
खाता नं०- 142 खेसरा नं०- 1303 रकबा- 3.80 से संबंधित आपके नाम से  
हो नं०- 9 के पंजी-II भाग 72 के पृष्ठ 4740 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त सदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए  
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

## संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4176

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- SMT कुन्नी सिंह  
पति - शांति कान्त सिंह  
साथ - हाडु किशोर कानौनी चणकराज

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कौलाकुधरा	12	142	1303	3.80510

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ..... 20 ..... पृष्ठ सं० ..... 3740 ..... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 08-09

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवादा

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो बस्ती / दा० खा० मु० सं०.....  
M/C No - 1662 (17) 08-09 रीजम थोका No - 697

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- SMT कुन्नी देवी अन्न

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बाधित सादा हुकूमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -  
M/C No - 303 (17) 06-87 रीजम थोका No - 288

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा  
दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1 -	368895	9.9.08	08-09
2 -	018137	28.9.15	15-16